



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23843-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1593/2026

श्रीमती राम कुमारी पांडेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव कांत पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शिव कुमार पाल, उप महान्यायवादी (Dy.S.G.)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसालो, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण (ट्रिब्यूनल), क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा निष्पादन आवेदन संख्या 284/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अधिकरण ने आवेदक को एक नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि वह मृतक सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। अधिकरण ने आगे आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र और परिवार रजिस्टर की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता मृतक सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।
2. आवेदक - मोती लाल पांडेय ने पेंशन की मांग को लेकर वर्ष 2011 में अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।
3. उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मोती लाल पांडेय का निधन हो गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसे अधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
4. जिसके बाद, मूल आवेदन (ओ.ए.) का निर्णय 25.10.2021 को निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया गया:-

"16. तदनुसार, मूल आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रिजर्व विस्ट पेंशन देने के आवेदक के दावे को खारिज करने वाली प्रत्यर्थियों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। आवेदक यह प्रमाणित करने के लिए प्रत्यर्थियों को प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगी कि वह स्वर्गीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मोती लाल पांडेय की कानूनी पत्नी है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी अपने रिकॉर्ड में संशोधन करेंगे और स्वर्गीय मोती लाल पांडेय के सेवा रिकॉर्ड में श्रीमती राम कुमारी पांडेय का नाम दर्ज करेंगे। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे स्वर्गीय मोती लाल पांडेय को नियमों के अनुसार गणना की गई रिजर्व विस्ट पेंशन का बकाया 25.03.2008 से उनके जीवनकाल यानी 19.10.2014 तक भुगतान करें और उसके बाद याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु की अगली तारीख से जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन का भुगतान करें, जिसमें पहले से भुगतान की गई ग्रेच्युटी राशि को समायोजित किया जाएगा। प्रत्यर्थी इस संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर एक पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें इसकी प्रोद्भूत तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक राशि पर 9% की दर से ब्याज देना होगा।"

5. वर्ष 2022 में एक निष्पादन आवेदन दायर किया गया था, जो इन सभी वर्षों तक अधिकरण के समक्ष लंबित रहा, और अंततः, दिनांक 07.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दिनांक 25.10.2021 के आदेश के अनुसार सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिस पर यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा विवाह के संबंध में नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस पर अधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:-

"9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि वह मृतक सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। वह यह स्थापित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति भी दाखिल कर सकते हैं कि वह मृतक सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी दाखिल कर सकते हैं कि आवेदक मृतक पूर्व सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।"

6. उक्त निर्देशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई है।
7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, प्रत्यर्थियों का याचिकाकर्ता से दस्तावेज मांगना उचित नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि अधिकरण ने आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने और परिवार रजिस्टर दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता से मुवक्किल की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और इसलिए, आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।
8. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। तर्क दिया गया कि अधिकरण ने केवल शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है और हालांकि संकेत यह दिया गया है कि अधिवक्ता को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, इसका आशय हमेशा यही रहा है कि आवेदक अपेक्षित शपथ पत्र दाखिल करेगा, और इसलिए, याचिका में कोई सार नहीं है।
9. हमने दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
10. यह दलील कि चूंकि प्रतिस्थापन स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रथम दृष्टया गलत है, क्योंकि प्रतिस्थापन की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यवाही प्रकृति में सारभूत नहीं होती है और केवल लंबित मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से होती है और पक्षों के अधिकारों का निर्णय नहीं करती है। इसलिए, मूल आवेदन का निर्णय करते समय अधिकरण ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता को यह प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि वह स्वर्गीय मोती लाल पांडेय की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। स्वीकार्य रूप से, अधिकरण के दिनांक 25.10.2021 के उक्त निर्देश को चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से अब बचा नहीं जा सकता है।

11. जहां तक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रकृति का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि शब्दशः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित हो सकती है, आदेश की भावना बिल्कुल स्पष्ट है जिसमें याचिकाकर्ता को नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा अपेक्षित था।
12. केवल आदेश के शब्दों को पढ़कर और उस आवश्यकता पर सवाल उठाकर, जो आवश्यकता दिनांक 25.10.2021 के आदेश द्वारा इंगित की गई थी और तब चुनौती नहीं दी गई थी, पूरी तरह से निराधार आधार पर नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करना पूर्णतः तुच्छ (frivolous) है। यह चुनौती अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता को वर्ष 2021 में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के लागू से वंचित कर रही है।
13. मामले की परिस्थितियों में, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता-आवेदक द्वारा अधिकरण के निर्देशानुसार सामग्री के साथ अपेक्षित नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसे प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा और मामले पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यवाही की जाएगी।
15. याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

एन.डी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"